संचिका सं0–10 / गै0यो0–02–06 / 2018...761...(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 16-11-18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में कटिहार जिलान्तर्गत विभिन्न आवासों, रेफरल अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत संबंधी कार्य हेतु रुपये 37,15,197/-(सैंतीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ सन्तानवे रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–544 (वि0) दिनांक–14.06.2018 एवं सिविल सर्जन, कटिहार के पत्रांक–2392, दिनांक–06.10.2018 से प्राप्त भवनों के विद्युतीकरण से संबंधित प्राक्कलन निम्नवत् कार्यों हेतु उपलब्ध कराया गया है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Renovation of remodelling to E.W. & E.I. in Dr. Qtr. (2 nos.) & Staff Qtr. (3 nos.) at Barari, Distt.-Katihar	3,64,503/-
2	Renovation & remodelling to E.W. & E.I. in Dr. & Staff Qtr. at PHC, Korha, Distt.-Katihar	3,05,503/-
3	R & M with renovation to E.W. & E.I. in Refral Hospital (G+1st) Building at Barari, Distt.-Katihar	13,70,005/
4	Renovation & remodelling to E.W. & E.I. in Dr. Qtr. (2 nos.) & Staff Qtr. (3 nos.) PHC Falka, Distt.-Katihar	3,82,498/-
5	Renovation & remodelling to E.W. & E.I. in PHC Kurshaila, Distt.-Katihar	7,35,330/-
6	Renovation & remodelling to E.W. & E.I. in PHC Sameli, Distt.-Katihar	5,57,358/-
	Total-	**37,15,197/-**

उक्त प्राक्कलन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कटिहार जिलान्तर्गत विभिन्न आवासों, रेफरल अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत संबंधी कार्य हेतु रुपये 37,15,197/- (सैंतीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ सन्तानवे रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी / एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरुप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी ।

(vi) विद्युत एवं भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त प्रगति प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी ससमय उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन, लघु शीर्ष–053–रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0001–शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड– 03-2059600530001, विषय शीर्ष– (27 02)–अनुरक्षण एवं मरम्मत, अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(5) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेगें।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/गै0यो0–02–06/2018 के पृष्ठ–7/टि0 पर प्राप्त है ।

(9) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(11) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/11/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 761 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 16-11-18

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां/जिला पदाधिकारी, कटिहार/सिविल सर्जन, कटिहार/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरारी, कोरहा, फलका, समेली एवं कुरसेला (कटिहार)/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/11/18

सरकार के विशेष सचिव ।